धनराशि जारी की गई है; और

(ग) बकाया राशि कब तक जारी कर दिये जाने की सम्भावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) उत्तर प्रदेश में, कृषि और ग्रामीण ऋण राहत योजना, 1990 के तहत 51,81,991 हिताधिकारियों को जिनमें किसान, खेतीहर मजदूर, ग्रामीण कारीगर और बुनकर शामिल हैं, ऋण राहत प्रदान की गयी ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राहत के सम्पूर्ण भार की जिम्मेदारी लेने और सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई राहत के लिए अनुदान के रूप में 50 प्रतिशत सहायता प्रदान करने का वादा किया था। सहकारी ऋण संस्थाओं के संबंध में योजना के अंतर्गत प्रदान की गई राहत का शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाना था। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), जिससे योजना के अंतर्गत दावों के कार्यान्वयन और प्रतिपूर्ति की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ने सूचित किया है कि उनके द्वारा बट्टे-खाते डाले गए ऋणों की प्रतिपूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (यूपीएससीबी) और उत्तर प्रदेश राज्य भूमि विकास बैंक (यूपीएसएलडीबी) द्वारा दायर किये गये 645.33 करोड़ रुपए के कुल दावों के लिए उन्हें 571.14 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की गई। इस प्रतिपूर्ति की राशि में से 248.78 करोड़ रुपए की राशि उपर्युक्त सहकारी बैंकों को 31 दिसम्बर, 1991 के बाद जारी की गई। शेष राशि के जारी करने पर नाबार्ड द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब उसके अनुदेशों का विधिवत रूप से पालन करते हुए, यूपीएससीबी और यूपीएसएलडीबी के *अंतिम/संशोधित दावों की प्राप्ति, उपात्त दावों और ईंडात्मक* और चक्रवृद्धि ब्याज को छोड़ते हुए दी जाए। नाबार्ड को संशोधित दावे अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

पूंजी निर्माण दर में गिरावट

*5429. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1990-91 में पूंजी निर्माण दर 26.3 प्रतिशत से गिरकर 1991-92 में 25.5 प्रतिशत रह गई;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) बचत दर बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) से (ग) : केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सकल पूंजी निर्माण की दर, जैसाकि सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल पूंजी निर्माण के अनुपात द्वारा मापा गया है, चालू कीमतों पर 1991-92 में 24.2 प्रतिशत थी, जबकि 1990-91 में यह 27.4 प्रतिशत थी। परिसम्पत्तियों और संस्थाओं के विधि के अनुसार सकल पूंजी निर्माण से संबंधित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये)। बचतों को बढ़ाने के लिए विशेषकर घरों में सुधार लाना अत्यावश्यक है जो बचत की आदतों पर निर्भर करती है। इसमें वित्तव्यवस्था में वृद्धि दर, राजकोषीय घाटे का स्तर, कर नीतियां, मुद्रा स्फीति, वैकिंग प्रणाली और पूंजी बाजारों की कार्य कुशलता व वित्तव्यवस्था में विश्वास शामिल है। अभी तक अपनाए गए विभिन्न वित्तीय सुधारों के कुल बचतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

विवरण

परिसम्पत्तियों की विधि द्वारा तथा संस्थाओं की विधि द्वारा पूंजी निर्माण

(चालू कीमतों पर)

(करोड़ रुपए)

मद	1990-91	1991-92
1	2	3
1. सकल पूंजी निर्माण	141851	147735
1.1 सरकारी क्षेत्र	55662	61764
1.2 निजी नेगमित क्षेत्र	24703	27900
1.3 घरेलू क्षेत्र	61486	58071
2. सकल निर्धारित पूंजी निर्माण	121189	135260
2.1 सरकारी क्षेत्र	50251	58749
2.2 निजी नेगमित क्षेत्र	20291	25630
2.3 घरेलू क्षेत्र	50647	50881

1	2	3
3. भंडारों में परिवर्तन	20662	12475
3.1 सरकारी क्षेत्र	5411	3015
3.2 निजी नेगमित क्षेत्र	4412	2270
3.3 घरेलू क्षेत्र	10839	7190
4. भूल-चूक	3880	980
5. भूल-चूक के लिए समायोजित सकल पूंजी निर्माण	145731	148715
6. बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद	532030	615655

राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रदान की गई सहायता

5430. **श्री ईश दत्त यादव :**
चौधरी हरमोहन सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय आवास बैंक ने उत्तर प्रदेश में मकानों की मरम्मत तथा निर्माण के लिये वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त संस्थानों तथा राज्य स्तरीय उच्च आवास वित्त समितियों को पुनर्वित्त-पोषण सहायता प्रदान की है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान इसके द्वारा प्रदान की गई राशि का संस्थानवार ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति) : (क) और (ख) राष्ट्रीय आवास बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी आवास वित्त समितियों को उनके द्वारा वितरित पात्र आवास ऋणों के संबंध में पुनर्वित्त प्रदान करता है। इसके अलावा, राष्ट्रीय आवास बैंक, राज्य भूमि विकास बैंकों द्वारा जारी विशेष ग्रामीण आवास डिबेंचरों (एसजीएचडी) में भी अभिदान करता है। पुनर्वित्त व्यक्तिगत हितग्राहियों को बड़ी मरम्मतों और उन्नयन के सहित आवास ऋणों के लिए और विभिन्न एजेंसियों द्वारा शुरू की गई भूमि विकास और आश्रय परियोजनाओं के लिए परियोजना ऋणों के संबंध में प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि 1992-93 और 1993-94 (मार्च, 1994 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न एजेंसियों द्वारा शुरू की गई भूमि विकास एवं आश्रय परियोजनाओं के संबंध में पुनर्वित्त का संवितरण क्रमशः 5730 लाख रुपए और 1683 लाख रुपए था।

देश में 1992-93 (जुलाई-जून) तथा 1993-94 (जुलाई-मार्च) के दौरान राष्ट्रीय आवास बैंक की पुनर्वित्त योजनाओं के अंतर्गत किए गए संस्था-वार संवितरण निम्नलिखित थे :—

(करोड़ रुपए)

संस्थान	1992-93 (जुलाई-जून)	1993-94 (जुलाई-मार्च)
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	52.62	23.60
सहकारी क्षेत्र की संस्थाएं	38.97	45.24
आवास वित्त कंपनियां	394.33	175.96
जोड़	485.92	244.80

राष्ट्रीय आवास बैंक ने सूचित किया है कि उपर्युक्त आंकड़ों का राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

Import Duty on Coal

5431. **SHRIMATI KAMLA SINHA**: Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the reduction in import duty on coal from 85% to 35% as proposed in the 1994-95 budget, will result in the dumping of imported coal in India at rates cheaper than that of domestic coal;

(b) whether such a reduction in import duty on coal will cause unnecessary expenditure of foreign exchange;

(c) whether Coal India Limited has the capacity to produce coal in sufficient quantities;